DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

3 August, 2024

ग्रेट निकोबार परियोजना

संदर्भ: *₹72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जिसमें एक डुअल-यूज़ एयरपोर्ट, कंटेनर टर्मिनल और टाउनशिप शामिल हैं, इसे एनजीटी और कलकत्ता हाई कोर्ट में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।*

- परीक्षण पिछले सप्ताह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) ने एनजीटी के कोलकाता बेंच में एक हलफनामा प्रस्तुत किया।
- इस हलफनामे में 2023 में एनजीटी द्वारा बनाई गई उच्च-शक्ति समिति (HPC) के निष्कर्ष शामिल थे, जो परियोजना की हरित मंजूरी की पुनः मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी।
- ANIIDCO ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- HPC ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट द्वीप तटीय नियमन क्षेत्र-IA (ICRZ-IA) में नहीं आता, जहां बंदरगाहों पर प्रतिबंध है।

ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना -

- **अवलोकन** :
  - इसे 2021 में लॉन्च किया गया, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर ₹72,000 करोड़ का एक व्यापक बुनियादी ढांचा विकास है।
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ) द्वारा कार्यान्वित है।
  - यह 16,610 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
  - इसका उद्देश्य मलक्का जलडमरूमध्य के निकट द्वीप की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है।
- **अवयव** :
  - अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी)
  - ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
  - दो ग्रीनफील्ड शहर
  - तटीय जन तीव्र परिवहन प्रणाली
  - मुक्त व्यापार क्षेत्र
  - 450 एमवीए गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र
- **सामरिक महत्व:**
  - यह सैन्य बलों, युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों की तैनाती को सुविधाजनक बनाता है।
  - इस द्वीपसमूह के चारों ओर कड़ी निगरानी और मजबूत सैन्य निरोध को बढ़ाया जाएगा।
  - यह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट होने के कारण यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  - यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव, विशेष रूप से मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य जैसे अवरोध बिंदुओं पर, रणनीतिक महत्व प्रदान करता है।
  - भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निकट कोको द्वीप समूह पर संभावित चीनी विस्तार का मुकाबला करने में ,मदद करता है , जो समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- **स्थान** :
  - निकोबार द्वीपसमूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
  - यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है।
  - यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का हिस्सा जिसमें 600 से अधिक द्वीप शामिल हैं।
- **क्षेत्र** :
  - यह 1,03,870 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
  - इसका क्षेत्रफल 910 वर्ग किमी है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र** :
  - यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते है।
  - यह एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध है।
  - यहाँ1,800 से अधिक जीव-जंतुओं की प्रजातियां, जिनमें से कुछ स्थानिक भी हैं।
- **पारिस्थितिक विशेषताएँ:**
  - ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन शामिल हैं।
  - यहाँ समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थुलियर) की ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला है।
  - यहाँ मैंग्रोव और पांडन वनों के साथ तटीय मैदान पाए जाते है।
  - यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 3,500 मिमी. है।
- **लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियाँ:**
  - विशाल चमड़े वाला कछुआ
  - निकोबार मेगापोड
  - ग्रेट निकोबार क्रेक
  - निकोबार केकड़ा खाने वाला मकाक
  - निकोबार वृक्ष छछूंदर
- **जनजातियाँ** :
  - **मंगोलॉयड शोम्पेन जनजाति:** इसमें लगभग 200 सदस्य है, जो नदियों और झरनों के किनारे वन क्षेत्रों में रहते हैं, शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता हैं।
  - **निकोबारी जनजाति:** इसमें लगभग 300 सदस्य, जो मूल रूप से पश्चिमी तट पर बसे थे, 2004 की सुनामी के बाद उत्तरी तट पर अफ्रा खाड़ी और कैम्पबेल खाड़ी में स्थानांतरित हो गए।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

3 August, 2024

ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विकास

***संदर्भ** : न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य को ओबीसी आरक्षण मॉडल को ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग करते हुए, सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।*

'क्रीमी लेयर' से क्या तात्पर्य है -

- इस अवधारणा की उत्पत्ति 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले से हुई थी।
- मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर, वीपी सिंह सरकार ने 13 अगस्त, 1990 को नागरिक पदों और सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण अधिसूचित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, जिसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

परिभाषा

- **क्रीमी लेयर:** इसमें ओबीसी में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अधिक उन्नत सदस्य आते है।
- यह उप-वर्गीकरण या उप-वर्गीकरण के समान नहीं है, जो विभिन्न मानदंडों के आधार पर समुदाय/जातिवार विभाजन को संदर्भित करता है।

ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान -

- किसी व्यक्ति को क्रीमी लेयर के भाग के रूप में पहचानने के मानदंड 1993 में न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 8 सितम्बर, 1993 को ऐसे लोगों की छह श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनकी संतान क्रीमी लेयर में आते हैं।

क्रीमी लेयर पहचान के लिए श्रेणियाँ

- संवैधानिक/वैधानिक पद
- केंद्र और राज्य सरकारों के ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी
- सशस्त्र बलों में कर्नल और उससे ऊपर तथा अर्धसैनिक बलों में समकक्ष
- पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील, प्रबंधन सलाहकार, इंजीनियर आदि
- कृषि भूमि या खाली जमीन और/या भवन वाले संपत्ति मालिक
- आय/संपत्ति कर निर्धारणकर्ता

व्यापक श्रेणियाँ

- **जिनके माता-पिता सरकारी सेवा में हैं:**
  - रैंक के आधार पर निर्धारण
  - ग्रुप-ए अधिकारी (या 40 वर्ष से पहले पदोन्नत) और माता-पिता दोनों ग्रुप-बी अधिकारी हों।
  - सशस्त्र बलों में कर्नल या उच्चतर पद तथा अर्धसैनिक बलों में समकक्ष पद।
- **जिन लोगों के माता-पिता निजी क्षेत्र में हैं:**
  - माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारण।
- **आय सीमा**
  - मूलतः यह राशि 1 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे हर तीन वर्ष में संशोधित किया जाता है।
  - वर्ष 2017 में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया, उसके बाद इसमें कोई और संशोधन नहीं किया गया।
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने 2015 में सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र

***संदर्भ:** एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है।*

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र (EFAs) भी कहा जाता है।
- इस संरक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करके "शॉक एब्जॉर्बर" (shock absorbers)के रूप में कार्य किया जाता है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के अनुसार, ईएसजेड का सीमांकन स्थल-विशिष्ट होना चाहिए, जिसमें विनियामक गतिविधियां होनी चाहिए, निषेधात्मक नहीं, जब तक कि आवश्यक न हो।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करने का लक्ष्य रखते है।
- इसमें उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना शामिल है।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की पृष्ठभूमि -

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (एनडब्ल्यूएपी) 2002-2016 जैव विविधता अलगाव को रोकने के लिए संरक्षित नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है।
- पर्यावरण संरक्षण नियम की धारा 3 केन्द्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने का अधिकार देती है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में स्पष्ट रूप से "पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों" का उल्लेख नहीं किया गया है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का नियम 5(1) केंद्र सरकार को कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक परिचालन को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने की अनुमति देता है।
- सरकार सुरक्षा उपायों के अधीन विशिष्ट उद्योगों, परिचालनों या प्रक्रियाओं के लिए क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- अधिनियम की धारा 3(2)(v) केन्द्र सरकार को कुछ औद्योगिक कार्यों के लिए क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की अवधारणा शुरू की गई।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- ईएसजेड के लिए प्रयुक्त मानदंड नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) घोषित करने के लिए भी लागू किए जाते हैं।

➢ **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र का विस्तार**

- वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 में निर्दिष्ट अनुसार, ईएसजेड किसी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक विस्तारित हो सकता है।
- संवेदनशील गलियारों, पारिस्थितिकी संपर्क और महत्वपूर्ण भूदृश्य संपर्क वाले क्षेत्रों में ईएसजेड का विस्तार 10 किलोमीटर से अधिक हो सकता है।
- किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के भीतर, ईएसजेड का वितरण और विनियमन भिन्न-भिन्न हो सकता है, तथा क्षेत्र के चारों ओर चौड़ाई और विस्तार भी भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

➢ **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के आसपास की गतिविधियाँ**

- **निषिद्ध गतिविधियाँ:**
  - वाणिज्यिक खनन
  - आरा मिलें
  - प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग (वायु, जल, मृदा, ध्वनि, आदि)
  - प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की स्थापना
  - लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग
- **विनियमित गतिविधियाँ:**
  - पेड़ों की कटाई
  - होटल और रिसॉर्ट की स्थापना
  - प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग
  - विद्युत केबलों का निर्माण
  - कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन (जैसे, भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना)
  - सड़कों का चौड़ीकरण
- **अनुमत गतिविधियाँ:**
  - चल रही कृषि या बागवानी प्रथाएँ
  - जैविक खेती
  - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग
  - सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना

NEWS IN BETWEEN THE LINES

यूनिसेफ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने बांग्लादेश में पिछले महीने हुई हिंसा में कम से कम 32 बच्चों की मौत और कई लोगों की गिरफ़्तारी और हिरासत पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

यूनिसेफ के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), जिसे शुरू में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (आईसीईएफ) के रूप में जाना जाता था, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है।
- यह दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करता है।
- इसकी स्थापना 11 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और लुडविक राजचमेन द्वारा की गई थी।
- इसका मिशन युद्ध, आपदाओं, अत्यधिक गरीबी, सभी प्रकार की हिंसा और शोषण के शिकार और विकलांग बच्चों सहित सबसे वंचित बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया था।
- इसने 1949 में भारत में अपना काम शुरू किया और वर्तमान में 16 राज्यों में काम करता है।
- यूनिसेफ की सहायक कंपनियों में यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया और यूनिसेफ आयरलैंड शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है।

भारतीय कपास निगम

हाल ही में, भारतीय कपास निगम (CCI) ने चालू कपास सत्र के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 33 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो अगले महीने तक लिया जाएगा।

भारतीय कपास निगम के बारे में:

- भारतीय कपास निगम (CCI) भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है जो कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात में शामिल है।
- इसकी स्थापना 31 जुलाई 1970 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी।
- इसकी मुख्य भूमिका कपास बाजार की कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरने पर मूल्य समर्थन संचालन करना है।
- यह कपास उत्पादकों को कपास उगाने वाले राज्यों में विभिन्न मंडियों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी उपज बेचने में भी मदद करता है।
- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

3 August, 2024

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस

हाल ही में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार, जुलाई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-आधारित लेन-देन में उछाल आया, जो 20.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, तथा इसके साल-दर-साल 35% की वृद्धि को दर्शाता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है।
- इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 21 सदस्य बैंकों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह प्रणाली तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) का एक उन्नत संस्करण है जो फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान सहित कई बैंकिंग सुविधाओं को एक ऐप में जोड़ती है।
- यह उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते से सीधे व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देता है, बिना अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण या IFSC कोड दर्ज किए हुए।
- जून 2023 तक, उपयोगकर्ता UPI का उपयोग करके एक दिन में 20 लेनदेन या ₹1 लाख तक का लेनदेन या तो एक बार में या पूरे दिन में कर सकते है।

आईएनएस शाल्की

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की 2 अगस्त, 2024 को कोलंबो की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंची।

आईएनएस शाल्की के बारे में:

- आईएनएस शाल्की (एस46) भारतीय नौसेना की शिशुमार श्रेणी(Shishumar class) की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
- यह भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी थी, जिसे 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लॉन्च किया था और 1992 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- 64.4 मीटर लंबी इस पनडुब्बी में 40 चालक दल के सदस्य हैं और इसकी कमान कमांडर राहुल पटनायक के हाथों में है।
- यह सतह पर 11 नॉट (20 किमी/घंटा) और पानी में डूबने पर 22 नॉट (41 किमी/घंटा) की गति से यात्रा कर सकती है।
- पनडुब्बियां टॉरपीडो, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सहित आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के हथियारों से लैस हैं।
- यह पनडुब्बी 4 अगस्त 2024 को द्वीप से रवाना होगी।

खबरों में व्यक्तित्व
पिंगली वेंकैया

कल 2 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर याद किया।

पिंगली वेंकैया (2 अगस्त 1876-4 जुलाई 1963)

भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, भूविज्ञानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के डिजाइनर पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के पास भटलापेनुमरु में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

योगदान:

- पिंगली वेंकैया गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे और महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग को डिजाइन किया था।
- वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज का 1921 से विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा अनुमोदन के बाद सभी कांग्रेस बैठकों में अनौपचारिक रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है।
- उन्होंने स्वदेशी आंदोलन सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी भागीदारी के लिए कई बार जेल गए।
- उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की और द्वितीय बोअर युद्ध (1899-1902) को लड़ा और वहाँ महात्मा गांधी से भी मिले।
- 1913 में, उन्होंने आंध्र प्रदेश के बापटला (Bapatla) में जापानी भाषा में एक व्याख्यान दिया, जिसे 'जापान वेंकैया' कहा जाता है।
- उन्होंने 1916 में 'भारत देशनीकी ओका जातीय पताकम' (भारत का राष्ट्रीय ध्वज) नामक पुस्तक प्रकाशित की।
- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था।

पुरस्कार और सम्मान:

- 2009 में, उनके योगदान के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया था।
- पिंगली वेंकैया के सम्मान में हर साल 2 अगस्त को तिरंगा उत्सव मनाया जाता है।
- इस वर्ष श्रीनगर में डल झील पर "तिरंगा को सलाम" रैली के साथ तिरंगा उत्सव मनाया गया।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

सुर्खियों में स्थल

नाइजीरिया

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, नाइजीरिया में आर्थिक कठिनाई के कारण हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई।

नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है।

स्थान: नाइजीरिया गिनी की खाड़ी पर स्थित एक अफ्रीकी देश है।

सीमाएँ: नाइजीरिया की सीमाएँ चाड और कैमरून (पूर्व), बेनिन गणराज्य (पश्चिम), नाइजर (उत्तर), लेक चाड (उत्तर-पूर्व) और अटलांटिक महासागर (दक्षिण) की गिनी की खाड़ी से मिलती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- नाइजर, बेन्यू और कंडुना नाइजीरिया की मुख्य नदियाँ हैं।
- चब्बल वाड्डी, जिसे गंगिरवाल और मौत का पहाड़ भी कहा जाता है, नाइजीरिया का सबसे ऊँचा स्थान है।
- अदामावा, माम्बिला, जोस और ओबुडू पठार सभी नाइजीरिया में हैं।
- नाइजर डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में से एक है और पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा है।

जातीय समूह:

- नाइजीरिया में तीन सबसे बड़े जातीय समूह उत्तर में हौसा, पश्चिम में योरूबा और पूर्व में इग्बो हैं।

भंडार:

- नाइजीरिया दुनिया में पेट्रोलियम का 12वां सबसे बड़ा उत्पादक है।
- इसमें कोयला, बॉक्साइट, सोना, टिन, लौह अयस्क और अन्य जैसे कम उपयोग किए गए खनिज भंडार का विशाल भंडार है, जिसमें पर्याप्त आर्थिक क्षमता है।

POINTS TO PONDER

- नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICAE) का उद्घाटन कौन करेगा? – **भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी**
- हाल ही में, किस राज्यसभा सांसद ने गुजरात में एशियाई शेरों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया और अपनी नई पुस्तक "कॉल ऑफ़ द गिर" प्रस्तुत की?

  – **परिमल नाथवानी**
- भारतीय खगोलविदों ने हाल ही में 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया? – **विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT)**
- किंडलिन्स पर हाल ही में किए गए अध्ययन से संभावित रूप से किस बीमारी के लिए नए उपचार मिल सकते हैं? – **कैंसर**
- शोधकर्ताओं ने किस तारा समूह में एक पिशाच तारा खोजा है जो अपने साथी से पदार्थ चूसकर अपनी युवावस्था को फिर से जीवंत कर लेता है? – **M67**